Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.03.104
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:3(6), March: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd March 2023
Publication Date:10th April 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

कमजोर नहीं हैं महिलाएँ

डॉ. पोरिका नागमणी
सहायक अद्यापिका (हिन्दी विभाग)
शास्त्रीया स्नातक महाविध्यालय मुलुगु, मुलुगु जिला T.S

सोच

महात्मा गांधी ने कहा था कि महिलाओं को कमजोर कहना एक म आत्मा न वधान है। गांधीजी के इस कथन के प्रति सोर का प्रदर्शित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ एवं अजय रस्तोगी ने विगत 17 फरवरी को बबीता पुनिया एवं अन्य के मामले में दिए गए अभूतपूर्व निर्णय में कहा कि महिलाओं को कमजोर मानना संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सशस्त्र बलों में लिंग आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार की ओर से मानसिकता में बदलाव जरूरी है। सेना में महिला अधिकारियों को कमान पोस्ट देने पर पूरी तरह रोक अतार्किक और समानता के अधिकार के खिलाफ है।'

हालांकि भारतीय सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त कर बराबरी की यात्रा में एक अध्याय जोड़ने की पहल 21 वीं शताब्दी के पहले दशक में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के माध्यम से प्रारंभ हो गई थी। परन्तु निर्णय का अनुपालन करने के स्थान पर सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की राह पकड़ी।

वैसे आर्मी अधिनियम 1950 की धारा 12 के हवाले से वर्ष 1992 में महिलाओं को कुछ सीमित क्षेत्रों में नियुक्ति का विकल्प खुल गया था लेकिन इससे बेहतर और आगे की उड़ान में साथ मिला दिल्ली उच्च न्यायालय का जब वर्ष 2010 में महिलाओं के पक्ष में फैसला आया और 2015 में इसे पुनः मान्यता मिली लेकिन तब सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध न सिर्फ उच्चतम न्यायालय में अपील किया बल्कि बिना किसी स्थगन आदेश के फैसले को लागू भी नहीं किया।

ऐसे में यह कहना उचित ही प्रतीत होता है की सभी सरकारों का चरित्र एक जैसा होता है। सरकार में किस राजनीतिक दल का बहुमत है और उसकी महिला सशक्तिकरण पर क्या नीतियां है और किस हद तक पितृसत्तात्मकता की गहरी जड़ों ने उन्हें रूढ़िवादिता से उबरने नहीं दिया इसकी झलक 2010 से 2020 तक की सत्तासीन सरकार द्वारा अपनाए गए रुख से स्पष्ट होता है।

हालांकि पिछले साल मई महीने में केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि जिन महिला सेना अधिकारियों ने 14 साल की शॉर्ट सर्विस कमीशन पूरी कर ली थी, उन्हें 20 साल की सेवा पूरी

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:3(6), March: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd March 2023
Publication Date:10th April 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.03.104
www.ijmer.in

होने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे पेंशन लाभ के लिए योग्य हो जाएं, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि सेना में स्थायी कमीशन का चुनाव करने वाली सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन दिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि महिला अधिकारी भी सेना में कमांड पोस्ट पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगी। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए, जो यह विकल्प चुनना चाहती हैं। महिलाओं को शारीरिक आधार पर स्थायी कमीशन न देना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।

अदालत ने अपने इस अहम फैसले में बाकायदा देश की उन ग्यारह महिला सैन्य अधिकारियों जिनमें कैप्टन तानिया शेरगिल, ले. कर्नल सोफिया कुरैशी और मेजर मधुमिता शामिल हैं, की राष्ट्रीय और अंतर– राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां गिनाई, जिन्होंने अपनी बहादुरी से देश का मान बढ़ाया और जिन्हें सेना पदक सहित कई वीरता पदक मिल चुके हैं।

निश्चित ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदलाव का एक सुगंधित बयान लेकर आया है जो यह सुनिश्चित करता है कि 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत के लिए निश्चित रूप से खास होगा क्योंकि इस बार महिलाओं में यह विश्वास स्थाई रूप से घर करेगा कि अब सेना में उन्हें भी मिलेगा पुरुषों के साथ स्थाई कमीशन का अवसर और सौभाग्य ।

आज इस निर्णय से अभिभूत हो कवि केदारनाथ की पंक्तियां बरबस ही स्मृति पटल पर अंकित हो रही है कि सबसे नीचे हम हैं नींव उठाने में.....

सबसे ऊपर हम हैं व्योम झुकाने में

ऐसे में भारतीय सेना के प्रमुख जो अपने को परंपरा वादी मानने का दंभ भरते हैं उन्हें बदलाव की बयार में शामिल होना ही पड़ेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर रक्षा मंत्री का बयान निश्चित रूप से सुकून पहुंचाने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की उन सभी दस ब्रांच में स्थायी कमीशन दिया जाएगा जहां महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में शामिल किया जाता था।

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.03.104
www.ijmer.in

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:3(6), March: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd March 2023
Publication Date:10th April 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं की क्षमता को सम्मान देने का यह पहला निर्णय नहीं है वरन एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा के मामले से ही इसकी शुरुआत मानी जानी चाहिए जिसमें न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर ने यह कहा था कि एक महिला के साथ उसके मातृत्व के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

अब देखना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और सेना की स्वीकार्यता के बीच का भेद कैसे और कब तक खत्म होगा?

महिलाओं को स्थाई कमीशन के लिए मार्ग प्रशस्त करने के अलावा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जल थल और नभ के बीच उसके कार्य स्थल पर उसे किसी प्रकार का ना तो यौन उत्पीड़न झेलना पड़े और ना ही बॉसीजम जैसा कोई भाव देखने को मिले। ना ही पुरुष सहकर्मियों में यह भाव घर करें कि उनकी जगह अब महिला कर्मियों द्वारा कब्जा कर ली जाएगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय महिलाओं की योग्यता दक्षता और क्षमता का परिचय तो समाज को सदियों से मिलता रहा है। परंतु आज एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर मुहर लगा देने की पहल स्वागत योग्य है और सेना सरकार एवं जनता को आगे बढ़कर इस फैसले का स्वागत करना होगा और महिलाओं के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना होगा तभी हम यह कह पाएंगे कि संवैधानिक मूल्यों को आप लोगों ने आत्मसात् कर लिया है और व्यावहारिक धरातल पर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए समाज पूरी तरह से तैयार हो चुका है।